कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– गरियाबंद (छ.ग.)
स्वास्थ्य कार्यकमो की जानकारी

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
1	स्वास्थ्य विभाग	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	2011	दिनांक 1 जुन 2011 को पुरे देश में जननी सूरक्षा कार्यक्रम की शुरूवात हो चुकि है । राज्य में माननीय श्री अमर अग्रवाल मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छ.ग. शासन द्वारा 15 अगस्त 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम का उद्घाटन किया गया है। 1. गर्भवती महिलाओ और नवजात शिशुओ के लिये सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओ में निशुल्क सुविधाये जैसे निःशुल्क प्रसव ,निःशुल्क सिरजेरियन सेकशन,निःशुल्क दवाइयो एवं उपभोज्य सामाग्री,निःशुल्क दैनिक सुविधाये। 2. सामान्य प्रसव में 3 दिन तथा सिजेरियन में 7 दिन तक ठहरने के लिये निःशुल्क भोजन। ,रक्त की निःशुल्क व्यवस्था ,घर से स्वास्थ्य केन्द्र रेफर किये जाने की स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्रो तथा वापस घर छोड़ने के लिये निःशुल्क परिवहन सुविधा। 3. नवजात शिशुओ के लिये निःशुल्क उपचार निःशुल्क दवाईयो और उपभोग्य सामान ,निःशुल्क निदान ,निःशुल्क रक्त व्यवस्था ,घर से स्वास्थ्य केन्द्रो तथा वापस घर छोड़ने के निये निःशुल्क परिवहन सुविधा ।	गर्भवति महिलाओ एवं नवजात शिशुओ के लिये 0 से 1 वर्ष तक पात्रता ।	
2	स्वास्थ्य विभाग	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना	2010	जन्म जाति बधिरता एवं छोटे बच्चो के वधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना एवं उनमें भाषा एवं वाणी का विकास करना ,हितग्राही को छ.ग. का मूल निवासी होना आवश्यक है ।	बी.पी.एल.परिवार के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के हितग्राही भी आवेदन कर सकते है। एक से चार वर्ष के बच्चो को प्राथमिकता मिलेगी 7 से 14 वर्ष तक के बच्चो को उपयुक्ता के आधार पर चयन किया जावेगा ।	
3	स्वास्थ्य विभाग	मुख्यमंत्री बाल हदय सुरक्षा योजना	2010	1 से 15 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिन्हें हदय की बीमारी है , उनका मुफ्त उपचार एवं शल्य क्रिया की सुविधा राज्य सरकार द्वारा चिन्हाकिंत चार उच्च स्तरीय अस्पतालो (बीएसआर अपोलो अस्पताल भिलाई ,अपोलो अस्पताल बिलासपुर ,रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर ,एस्कार्ट हार्ट केयर अस्पताल रायपुर)में उपलब्ध है इन बाल मरीजो के परिजनो के ठहरने एवं खाने की व्यवस्था की संबंधित अस्पतालो मं है अभी तक इस योजनान्तर्गत 180 बच्चे लाभावित्त हुए ।	1 से 15 तक के ऐसे बच्चे ं जिन्हें हदय की बीमारी है।	

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
4	स्वास्थ्य विभाग	जननी सुरक्षा योजना		योजना का मुख्य उदृदेश्य सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव बढ़ावा देकर मातृ शिशु मृत्युदर में कमी लाना हैं 1.ग्रामीण क्षेत्र के गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर राशि रू. 1400 रू. 2.ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्र के हितग्राहियो को संस्थागत प्रसव हेतु घर से अस्पताल तक परिवहन व्यवस्था 3.शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर रू. 1000 रू. 4.संस्थागत प्रसव हेतु पंजीयन रेफर किये जाने पर मितानिन को रू. 300 रू. एवं प्रसव के दौरान अस्पताल मंहिला के साथ रहकर सेवा करने पर रू 300रू. 5.शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव हेतु पंजीयन रेफर कियो जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रू. 200 6.गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिला को घर पर प्रसव कराने पर प्रथम 2 बच्चे तक रू.500 रू.का प्रावधान हैं ।	गर्भवती माता , मितानिन, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	
5	स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो संसाधनो की कमी के कारण अपना इलाज नही करवा पाते हैं , वे इस योजना के तहज रोगो की चिकित्सा अस्पताल में भर्ती रहकर करवा सकते हैं एवं योजनान्तर्गत परिवार के पांच व्यक्ति एक वर्ष में 30000 रूपये तक स्वास्थ्य बीमा छत्रक प्राप्त कर सकते हैं ।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो संसाधनो की कमी के कारण अपना इलाज नही करवा पाते हैं	
6	स्वास्थ्य विभाग	संजीवनी रेखा कोष		गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को शासकीय/मान्यता प्राप्ता संस्थाओ में उपचार हेतु आर्थिक सहायता निम्नलिखित रोगो/परिस्थितियो में प्रदान की जाती है । केंसर का पूर्ण उपचार ,वक्षीय शल्य क्रियाये,गुर्दे की शल्य क्रियाये एवं गुर्दो प्रत्यारोपण ,कुल्हे की हड्डी को बदला जाना ,घुटना बदलना ,सिर में आई अंदरूनी चोट की शल्य किया ,रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रियाए,आंख के पर्दे के अलग हो जाने की शल्य किया, ह्रदय की शल्य कियाएं प्राकृतिक विपदाये ,औद्योगिक दुर्घटनाए ,कृषिस उपकरणो ,औजारो अथवा बम विस्फोट से हुई दुर्घटना के उपचार एवं शल्य क्रियाए । अभी तक इस योजनांतर्गत 560 लाभावित हुये ।	छ.ग राज्य का मूल निवासी , बी.पी.एल कार्डधारी, संभावित व्यय का प्राकलन	

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
7	स्वास्थ्य विभाग	108 सजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस	1 सितंबर 2011	108 सजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस जिला गरियाबंद की जनता को आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के लिये चिकित्सा सुविण्धा से सुसज्ज्ित छ.ग. शासन द्वारा संजीवनी एक्सप्रेस के नाम से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा 1 सितम्बर 2011 से प्रारंभ की गई है। संजीवनी एक्सप्रेस की मुख्य विशेषताएंः– 1. एम्बुलेंस की यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। 2. एम्बुलेंस की सुविधा के लिनये प्रदेश के किसी स्थल एवं सभी प्रकार के टेलीफोन से निःशुल्क (टोल फ्री) केवल 108 नंबर डायल करना होता है। 3. संजीवनी एक्सप्रेस में केवल मरीज को अस्पताल नही पहुंचाया जाता बल्कि प्रशिक्षित तकनीशियन द्वारा तत्काल	दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति	
9	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य मितानिन योजना		प्रत्येक पारे/ टोले में सामान्य बीमारियों का स्थानीय स्तर पर इलाज उपलब्ध हो सकें इसकें लिये मितानिनों को आवश्यक दवायुक्त मुख्यमंत्री दवा पेटी उपलब्ध कराई गइ है। मितानिनों के पास बुखार उल्टी दस्त, मलेरिया, सर्दी खासी आदि के उपचार हेतु दवाईयॉ उपलब्ध रहती है।	समस्त मितानिन	
10	स्वास्थ्य विभाग	टीकाकरण कार्यक्रम		1. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में एक निश्चित दिन मंगलवार को मासिक स्वास्थ्य दिवस पर टीकाकरण सत्र का आयोजन 2.जन्म से एक साल के बच्चें को छः जानलेवा बीमारियों – क्षय रोग, पोलियो, धनुष टंकार , कुकुर खांसी टिटनेस व खसरा से बचाव के टीके लगाना। 3. खसरा के टीके के साथ विटामिन ए की खुराक। 4. 16 माह से 23 माह के बीच OPV बुस्टर एवं DPT बुस्टर 5. पुनः 5,10 और 16 वर्ष की आयु में टिटनेस से बचाव के टीके ।	समस्त बच्चे (उम्र 0 से 16 वर्ष)	
11	स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय पुनरिक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम		1. 15 दिनों से अधिक खासी होने पर टी.बी. की संभावना रहती है। 2. तत्काल खखार की जॉच करावें एवं खखार में रोगाणु पाये जाने पर मुफ्त में नवीन चिकितसा पद्धति डॉट्स अपनायें एवं रोग मुक्त होवें। जॉच एवं उपचार केन्द्रः– जिला चिकित्सालय, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं	संभावित मरीज	

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
12	स्वास्थ्य विभाग	अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमः–		1.हमारे देश में अंधेपन का 80 प्रतिशत मोतियांबिंद है। मोतियाबिंद से दृष्टिबाधित मरीज की दृष्टि एवं साधारण ऑपरेशन(लेंस प्रत्यारोपण) के द्वारा ठीक हो जाती है। 2.मोतियाबिद की पहचान जिला अस्पताल एवं खड स्तरीय अस्पतालो में की जाती है । निः शुल्क लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा जिला अस्पताल में उपलब्ध है। 3. मिडिल स्कूल के बच्चों का नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चश्में वितरित किये जाते हैं	संभावित मरीज	
13	स्वास्थ्य विभाग	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम		कुष्ठ की पहचान– बहुत आसानः 1. चमड़ी पर सून्न दाग कुष्ठ रोग का प्रमुख लक्षण है। 2. कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर इसका बहुत औषधि उपचार सभी स्वास्थ्य केन्दों में निःशुल्क उपलब्ध है। अपंगता रोकथाम एवं चिकित्सकीय पुनर्वास योजना – कुष्ठ रोग से विकलांग व्यक्तियों की निःशुल्क शल्य क्रिया की सुविधा आर एल टी आर आई रायपुर बेथेस्दालेप्रोसी हास्पिटल एवं जिला चिकित्सालय गरियाबंद में शिविर होने पर उपलब्ध। जॉच एवं उपचार केन्द्रः– जिला चिकित्सालय सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सभी उपस्वास्थ्य केन्द्र बीपीएल को आपरेशन करवाने पर प्रोत्साहन राशि रू0.5000रू.	संभावित मरीज	
14	स्वास्थ्य विभाग	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमः–		मलेरिया की रोकथाम व बचावः– 1. मच्छरों को पैदा होने से रोकनाः कहीं भी पानी जमा न होने दें गडडे पाटकर बडें गडडों में जला हुआ ईंधन तेल डालकर। 2.मच्छरों से बचाव– मेडिकेटेड मच्छरदानी लगाकर, ,नीम पत्ती जलाकर ,सायंकाल दरवाजे खिड़कीब बद कर। 3. बुखार आने पर खून की जॉच करवाकर मलेरिया की दवा ले। 4. जॉच एवं उपचार की सुविधा सभी स्वस्थ्य केन्द्रों, डिपों होल्डरों, मितानिनों के पास निःशुल्क उपलब्ध।	संभावित मरीज	

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
15	स्वास्थ्य विभाग	सिकल सेल विकृति नियंत्रण कार्यक्रमः–		छत्तीसगढ की कई जातियों में यह बीमारी है इसमें रक्त कणिकायें ,हंसिये के आकार की पैदा होती है इसलिये यह सिकल सेल कहलाता है। शरीर को खून के माध्यम से मिलने वाली आक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति नही हो पाती हे। लक्षणः– खून की कमी होना, शरीर सफेद दिखना ,जल्दी थक जाना ,सांस फूलना चिड़चिड़ापन, खानपान में अरूचित, हाथ पेर की उंगलियों,जोड़ों में सूजन तथा दर्द तिल्ली का बढ़ना। बचाव– यह अनुवांशिक रोग है अपने बच्चे का विवाह करने से पूर्व सिंकलिंग की जॉच अवश्यक करावें। उपचारः– सामान्य उपचार के रूप में फोलिक एसिड की गोलियों तथा खून की कमी होने पर रक्त चढ़ाया जाता है इसकी सुविधा जिला अस्पताल में उपलब्ध है।	संभावित मरीज	
16	स्वास्थ्य विभाग	एड्स नियंत्रण कार्यक्रमः–		एड्स कैसे फैलता है– असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने से ,बिना उबली सुई या पहले से इस्तेमाल की गई सुई के प्रयोग से ,एच आईवी पाजिटीव मां से उसके बच्चे को। जॉच एवं परामर्श सुविधायेंः जिला चिकित्सालय गरियाबंद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एड्स जानकारी ही इसका बचाव है।	संभावित मरीज	
17	स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकास नियंत्रणः–		आयोडिन अल्पता के लक्षण घेंघा रोग गले में सूजन, मंद बुद्धि, गूंगा व बहरापन, भेंगापन । बचाव– बायोजन युक्त नमक का अनिवार्य उपयोग।	संभावित मरीज	
18	स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः–		महिला नसबंदीः– हितग्राही को 600 रू. तथा प्रोत्साहन कर्ता को 150 रू. पुरूष नसंबंदी – हितग्रामी को 1100 रू. तथा प्रोत्साहनकत्र को 200 रू,		

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
19	स्वास्थ्य विभाग	प्रेरणा योजना –		योजना का उददेश्य– ऐसे महिलाओं को प्रेरणा के रूप में चिन्हाकिंत कर पुरस्कृत करना है जिन्होंने स्वयं के परिवार का आदर्श नियोजन किया हो।	1.हितग्राही महिला बीपीएल परिवार का सदस्य होनी चाहिये। 2.महिला के विवाह के समय न्यूनतम आयु 19 वर्ष होनी चाहिये तथा प्रथम संतान का जन्म विवाह के न्यूनतम 2 वर्ष उपरांत होना चाहिये। यदि प्रथम संतान बालक है तो महिला को 10000/– तथा बालिका होने की दशा में 12000/–प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। 3. यदि महिला की द्वितीय संतान प्रथम संतान के जन्म के न्यूनतमक 3 वर्ष उपरांत हुई हो तथा महिला अथवा उसे पति द्वारा परिवार नियोजन का स्थायी साधन अपनाया गया हो परिवार नियोजन कराने के समय महिला की आयु अधिकतम 30 वर्ष हो तो द्वितीय संतान बालक होने की दशा में रू. 5000/– तथा बालिका होने की दशा में 7000/– के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। 4.महिला का विवाह का पंजीयन होना अनिवार्य है।	
20	स्वास्थ्य विभाग	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011	2011	छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 344 रायपुर दिनांक 31 दिसंबर 2011 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की अधिसूचना जारी की गई जिसमें विभाग में निम्नांकित योजनाओ को अधिसूचित किया गया है 1. संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)प्रसव तिथि से 07 कार्य दिवस । 2. परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नसबंदी आपरेशन के दारान या 07 दिवस के अंदर मुत्यु एवं असफल आपरेशन की क्षतिपूर्ति राशि का प्रकरण तैयार कर प्रेषित करना 60 कार्य दिवस 3. स्थायी निशक्ता प्रमाण पत्र अस्थायी निश्क्ता प्रमाण पत्र, फिटनेस		

क्रमांक	विभाग	योंजना का नाम	योजना प्रारभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
21	स्वास्थ्य विभाग	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिले अवसर का लाभ लेते हुये ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है । ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के द्वारा पंचायती राज अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थायी समिति शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का सुद्धढ़ीकरण किया जा सकता हैं जिससे लोक स्वास्थ्य के व्यापीकरण में सफलता भी सुनिश्चित हो सकेगी । कार्यक्रम के उद्देश्य व लाभ : 1.ग्रम की स्वच्छता । 2.शुद्व पेयजल की व्यवस्था । 3.गर्भवती महिलाओ को प्रसव पूर्व सुविधाओ क जानकारी प्रदान करना । 4.बीमारियो के रोकथाम की जानकारी व उपाय के प्रयास करना ।	प्रति ग्राम पंचायत 10000 रू राशि मितानिनों को प्रदायित	

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– गरियाबंद (छ.ग.)